

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-01

रोलनंबर :- DR-01

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शैलेन्द्र सिंह

पिता/पति का नाम :- बृजलाल सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-02

रोलनंबर :- DR-02

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कृष्णा सिंह

पिता/पति का नाम :- मोहरसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-03

रोलनंबर :- DR-03

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उमेश कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- टेकराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-04

रोलनंबर :- DR-04

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शैलेन्द्र कुमार ठाकुर

पिता/पति का नाम :- रूपनारायण ठाकुर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-05

रोलनंबर :- DR-05

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुजीत कुमार पटेल

पिता/पति का नाम :- रामदोलावन पटेल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-06

रोलनंबर :- DR-06

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दीपक विश्वकर्मा

पिता/पति का नाम :- राम अनुग्रह विश्वकर्मा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-07

रोलनंबर :- DR-07

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजय कुमार

पिता/पति का नाम :- मोहरसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-08

रोलनंबर :- DR-08

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिलीप कुमार पटेल

पिता/पति का नाम :- हरवंश पटेल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-09

रोलनंबर :- DR-09

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रेवा शंकर

पिता/पति का नाम :- राग खेलावन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-10

रोलनंबर :- DR-10

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शेख अब्दुल वाहिद

पिता/पति का नाम :- अब्दुल वहाब

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-11

रोलनंबर :- DR-11

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विनोद कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- रामेश्वर राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-12

रोलनंबर :- DR-12

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुरज कुमार कश्यप

पिता/पति का नाम :- राजेन्द्र कश्यप

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-13

रोलनंबर :- DR-13

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विजय कुमार

पिता/पति का नाम :- रामचरन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-14

रोलनंबर :- DR-14

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनेश्वर

पिता/पति का नाम :- लगन साय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-15

रोलनंबर :- DR-15

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुमीत कुमार जायसवाल

पिता/पति का नाम :- मदन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-16

रोलनंबर :- DR-16

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल कुमार

पिता/पति का नाम :- अकालु राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-17

रोलनंबर :- DR-17

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दुष्यन्त राम

पिता/पति का नाम :- इन्द्रजीत राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-18

रोलनंबर :- DR-18

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आशीष कुमार झा

पिता/पति का नाम :- रमेश कुमार झा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-19

रोलनंबर :- DR-19

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उमेश सोनवानी

पिता/पति का नाम :- शिव लाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-20

रोलनंबर :- DR-20

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रफीक मोहम्मद

पिता/पति का नाम :- लतीफ मोहम्मद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-21

रोलनंबर :- DR-21

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- धर्मेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- दुलार साय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-22

रोलनंबर :- DR-22

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रवि कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- केन्दाराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-23

रोलनंबर :- DR-23

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रोशन लाल दहायत

पिता/पति का नाम :- गुलाब प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-24

रोलनंबर :- DR-24

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राम चरित तिवारी

पिता/पति का नाम :- प्रभा शंकर तिवारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-25

रोलनंबर :- DR-25

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जितेन्द्र सिंह पोर्ते

पिता/पति का नाम :- कन्हैयालाल पोर्ते

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-26

रोलनंबर :- DR-26

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जागीर सिंह

पिता/पति का नाम :- भुरूषभान

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-27

रोलनंबर :- DR-27

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सैय्यद मो0 जैद

पिता/पति का नाम :- सैय्यद मो0 जैद यहिया

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-28

रोलनंबर :- DR-28

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रेम कुमारी राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- दुबराज राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-29

रोलनंबर :- DR-29

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनन्त कुमार

पिता/पति का नाम :- सुरेश राय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-30

रोलनंबर :- DR-30

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सैयद सलीम जावेद

पिता/पति का नाम :- सैयद वकील अहमद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-31

रोलनंबर :- DR-31

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शंकर रजक

पिता/पति का नाम :- राम भरोस रजक

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-32

रोलनंबर :- DR-32

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनुज कुमार

पिता/पति का नाम :- पारस नाथ

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-33

रोलनंबर :- DR-33

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- महेन्द्र कुमार कुशवाहा

पिता/पति का नाम :- द्वारिका प्रसाद कुशवाहा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-34

रोलनंबर :- DR-34

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सोनू सिंह

पिता/पति का नाम :- गंगा प्रसाद सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-35

रोलनंबर :- DR-35

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रदीप कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- जयनन्दन राम साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-36

रोलनंबर :- DR-36

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिलीप कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री राजकुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-37

रोलनंबर :- DR-37

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिकेत पटेल

पिता/पति का नाम :- दीपक पटेल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-38

रोलनंबर :- DR-38

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विक्की हितकर

पिता/पति का नाम :- बंशवली हितकर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-39

रोलनंबर :- DR-39

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आशीष कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- राजेश्वर साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-40

रोलनंबर :- DR-40

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आदित्य नारायण प्रताप यादव

पिता/पति का नाम :- रामाश्रम यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-41

रोलनंबर :- DR-41

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जयकुमार

पिता/पति का नाम :- श्री शिवमंगल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-42

रोलनंबर :- DR-42

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिनेश कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- श्री हीरासाय राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-43

रोलनंबर :- DR-43

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उपेन्द्र कुमार गुप्ता

पिता/पति का नाम :- स्व0 भगवान प्रसाद गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-44

रोलनंबर :- DR-44

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अविनाश दासव

पिता/पति का नाम :- श्री बिहारी दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-45

रोलनंबर :- DR-45

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- परमेश्वर सिंह

पिता/पति का नाम :- लच्छना सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-46

रोलनंबर :- DR-46

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनीष शर्मा

पिता/पति का नाम :- जगदीश शर्मा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-47

रोलनंबर :- DR-47

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रमेश कुमार

पिता/पति का नाम :- स्व0 सोमारू राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-48

रोलनंबर :- DR-48

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनोज कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- रामसुमेर साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-49

रोलनंबर :- DR-49

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कमलेश कुमार

पिता/पति का नाम :- स्व0 जानकी राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-50

रोलनंबर :- DR-50

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भेश कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- श्री अयोध्या प्रसाद साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-51

रोलनंबर :- DR-51

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सत्य नारायण

पिता/पति का नाम :- स्व0 श्री धरम साय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-52

रोलनंबर :- DR-52

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजकुमार सोनी

पिता/पति का नाम :- लक्ष्मी प्रसाद सोनी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-53

रोलनंबर :- DR-53

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शिव कुमार गुप्ता

पिता/पति का नाम :- दुर्योधन प्रसाद गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-54

रोलनंबर :- DR-54

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रोहित कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- गणेश राम यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-55

रोलनंबर :- DR-55

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- धर्मेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री बली राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-56

रोलनंबर :- DR-56

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रोहित राम

पिता/पति का नाम :- श्री शिवनाथ राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-57

रोलनंबर :- DR-57

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- महावीर सिंह

पिता/पति का नाम :- राम प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-58

रोलनंबर :- DR-58

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सलमान खान

पिता/पति का नाम :- स्व0 अहमद हकिम खान

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-59

रोलनंबर :- DR-59

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दशरथ राम भगत

पिता/पति का नाम :- श्री सरजू राम भगत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-60

रोलनंबर :- DR-60

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अरूण कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री बिन्देश्वर प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-61

रोलनंबर :- DR-61

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मिथुन ओझा

पिता/पति का नाम :- श्री गोपाल ओझा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-62

रोलनंबर :- DR-62

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सतीश कुमार राय

पिता/पति का नाम :- श्री घनश्याम राय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-63

रोलनंबर :- DR-63

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- ननका

पिता/पति का नाम :- श्री अकलु

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-64

रोलनंबर :- DR-64

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- परषोत्तम सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री गंवटिया सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-65

रोलनंबर :- DR-65

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- इरफान खान

पिता/पति का नाम :- अख्तियार खान

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-66

रोलनंबर :- DR-66

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुभरन दास

पिता/पति का नाम :- श्री बैकुण्ठ दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-67

रोलनंबर :- DR-67

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- महिकल

पिता/पति का नाम :- श्री कृष्णा राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-68

रोलनंबर :- DR-68

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- करमचंद सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री पाण्डेय राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-69

रोलनंबर :- DR-69

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सौरभ राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- श्री एस0 आर0 राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-70

रोलनंबर :- DR-70

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मो0 आशिक

पिता/पति का नाम :- मो0 इस्लाम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-71

रोलनंबर :- DR-71

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनीष कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री बैजनाथ

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-72

रोलनंबर :- DR-72

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनोज कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री महेन्द्र कुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-73

रोलनंबर :- DR-73

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विक्रम काशी

पिता/पति का नाम :- श्री राम साय काशी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-74

रोलनंबर :- DR-74

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कुलन सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री प्रहलाद सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-75

रोलनंबर :- DR-75

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सूरजचंद भगत

पिता/पति का नाम :- श्री सुभग राम भगत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-76

रोलनंबर :- DR-76

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- निलेश भगत

पिता/पति का नाम :- श्री परमानंद भगत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-77

रोलनंबर :- DR-77

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश महाराज

पिता/पति का नाम :- श्री मिथिलेश महाराज

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-78

रोलनंबर :- DR-78

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- यशवर्धन वर्मा

पिता/पति का नाम :- श्री विजय प्रताप वर्मा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-79

रोलनंबर :- DR-79

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आकाश कुमार कसेरा

पिता/पति का नाम :- श्री बच्चालाल कसेरा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-80

रोलनंबर :- DR-80

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रदीप यादव

पिता/पति का नाम :- श्री रामाशंकर यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-81

रोलनंबर :- DR-81

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- समीर सरकार

पिता/पति का नाम :- श्री वरुण सरकार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-82

रोलनंबर :- DR-82

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शैलेन्द्र प्रकाश सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री सुन्दरम प्रकाश सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-83

रोलनंबर :- DR-83

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- ओम प्रकाश

पिता/पति का नाम :- श्री नानसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-84

रोलनंबर :- DR-84

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दुर्गा प्रसाद गुप्ता

पिता/पति का नाम :- स्व0 शंकर प्रसाद गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-85

रोलनंबर :- DR-85

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नाहर सिंह

पिता/पति का नाम :- स्व बच्चालाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-86

रोलनंबर :- DR-86

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हरदुगन जरिया

पिता/पति का नाम :- प्रेम प्रकाश जरिया

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-87

रोलनंबर :- DR-87

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रदीप कुमार

पिता/पति का नाम :- लालजी गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-88

रोलनंबर :- DR-88

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रवीण कुमार

पिता/पति का नाम :- समय लाल कुशवाहा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-89

रोलनंबर :- DR-89

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अभिषेक कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री राजनारायण लाल श्रीवास्तव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-90

रोलनंबर :- DR-90

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नीरज कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री मनमोहन राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-91

रोलनंबर :- DR-91

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- ऊषा राम

पिता/पति का नाम :- श्री जगदीश राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-92

रोलनंबर :- DR-92

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सचिन कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री रामचन्द्र

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-93

रोलनंबर :- DR-93

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दीनानाथ

पिता/पति का नाम :- श्री केवला

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-94

रोलनंबर :- DR-94

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भरत कुमार पटेल

पिता/पति का नाम :- बच्चु भाई पटेल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-95

रोलनंबर :- DR-95

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अभय कुमार गुप्ता

पिता/पति का नाम :- बंशी प्रसाद गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-96

रोलनंबर :- DR-96

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुरेन्द्र प्रकाश

पिता/पति का नाम :- भैयाराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-97

रोलनंबर :- DR-97

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संत कुमार बरगाह

पिता/पति का नाम :- शिवचरन बरगाह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-98

रोलनंबर :- DR-98

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हर्ष राज

पिता/पति का नाम :- कैलाश प्रसाद यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-99

रोलनंबर :- DR-99

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- चरण दास

पिता/पति का नाम :- सुकृत दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-100

रोलनंबर :- DR-100

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सत्यपाल सिंह

पिता/पति का नाम :- विशुन राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-101

रोलनंबर :- DR-101

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुरेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- नेतराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-102

रोलनंबर :- DR-102

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दुष्यन्त कुमार महंत

पिता/पति का नाम :- सुकृत दास महंत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-103

रोलनंबर :- DR-103

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिनाकरण केरकेट्टा

पिता/पति का नाम :- रफेल केरकेट्टा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-104

रोलनंबर :- DR-104

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रमेश कुमार गुप्ता

पिता/पति का नाम :- लाली गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-105

रोलनंबर :- DR-105

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश कुमार पाल

पिता/पति का नाम :- हरिशचन्द्र

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-106

रोलनंबर :- DR-106

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजय खलखो

पिता/पति का नाम :- लिनस खलखो

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-107

रोलनंबर :- DR-107

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- बेला प्रताप सिंह

पिता/पति का नाम :- धनसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-108

रोलनंबर :- DR-108

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रितेश कुमार

पिता/पति का नाम :- सुरेन्द्र कुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-109

रोलनंबर :- DR-109

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- बृजेश कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- कवल साय राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-110

रोलनंबर :- DR-110

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुनील कुमार तिवारी

पिता/पति का नाम :- केदारनाथ तिवारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-111

रोलनंबर :- DR-111

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिप्तेन्द्र कुशवाहा

पिता/पति का नाम :- धर्मपाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-112

रोलनंबर :- DR-112

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विकास मानिकपुरी

पिता/पति का नाम :- दिनेश मानिकपुरी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-113

रोलनंबर :- DR-113

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश कुमार कुशवाहा

पिता/पति का नाम :- राम मुस्त कुशवाहा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-114

रोलनंबर :- DR-114

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शरद प्रताप ठाकुर

पिता/पति का नाम :- शीतल प्रताप ठाकुर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-115

रोलनंबर :- DR-115

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- लक्ष्मण राम

पिता/पति का नाम :- नवासाय राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-116

रोलनंबर :- DR-116

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रविकांत कच्छप

पिता/पति का नाम :- विरेन्द्र कुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-117

रोलनंबर :- DR-117

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- चन्द्रशेखर प्रसाद

पिता/पति का नाम :- रुद्र प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-118

रोलनंबर :- DR-118

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजेन्द्र जेना

पिता/पति का नाम :- मुरली जेना

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-119

रोलनंबर :- DR-119

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मो0 जाहिद

पिता/पति का नाम :- मो. जरिफ

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-120

रोलनंबर :- DR-120

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- तारकेश्वर प्रसाद

पिता/पति का नाम :- सुरजन राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-121

रोलनंबर :- DR-121

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुरेन्द्र सिंह सैनी

पिता/पति का नाम :- गुरमेल सिंह सैनी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-122

रोलनंबर :- DR-122

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नन्दू यादव

पिता/पति का नाम :- सुदेश्वर यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-123

रोलनंबर :- DR-123

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विनोद वर्मा

पिता/पति का नाम :- केदार वर्मा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-124

रोलनंबर :- DR-124

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुखदेव राम

पिता/पति का नाम :- गुलाब राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-125

रोलनंबर :- DR-125

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आकाश गिरि

पिता/पति का नाम :- शिव प्रकाश गिरि

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-126

रोलनंबर :- DR-126

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजन कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- रामप्रताप यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-127

रोलनंबर :- DR-127

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शैलेश कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- रामसुन्दर यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-128

रोलनंबर :- DR-128

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल कुमार तिवारी

पिता/पति का नाम :- हीरालाल तिवारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-129

रोलनंबर :- DR-129

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- तुलेश्वर राम

पिता/पति का नाम :- पीला राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-130

रोलनंबर :- DR-130

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जय सिंह

पिता/पति का नाम :- सुरेश कुमार सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-131

रोलनंबर :- DR-131

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनोज यादव

पिता/पति का नाम :- उमेश यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-132

रोलनंबर :- DR-132

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नन्द कुमार

पिता/पति का नाम :- मोहन राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-133

रोलनंबर :- DR-133

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हरीश दास महंत

पिता/पति का नाम :- लक्ष्मण दास महंत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-134

रोलनंबर :- DR-134

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- गुलाब चन्द यादव

पिता/पति का नाम :- बिहारी लाल यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-135

रोलनंबर :- DR-135

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उमेश सोनवानी

पिता/पति का नाम :- रामरतन सोनवानी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-136

रोलनंबर :- DR-136

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अवेश शरीफ

पिता/पति का नाम :- अताउल्लाह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-137

रोलनंबर :- DR-137

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नीरज कुमार

पिता/पति का नाम :- असर्फी राय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-138

रोलनंबर :- DR-138

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भोला प्रसाद

पिता/पति का नाम :- रामा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-139

रोलनंबर :- DR-139

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुमित कुमार

पिता/पति का नाम :- विकास कुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-140

रोलनंबर :- DR-140

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विरेन्द्र

पिता/पति का नाम :- रामबली राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-141

रोलनंबर :- DR-141

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विक्रमा दित्य

पिता/पति का नाम :- रामप्रताप

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-142

रोलनंबर :- DR-142

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रदीप कुमार

पिता/पति का नाम :- गुलाब दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-143

रोलनंबर :- DR-143

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुरज शर्मा

पिता/पति का नाम :- विष्णु प्रसाद शर्मा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-144

रोलनंबर :- DR-144

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मिथलेश कुमार

पिता/पति का नाम :- विजय प्रताप

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-145

रोलनंबर :- DR-145

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अशोक कुमार

पिता/पति का नाम :- शिव प्रसाद यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-146

रोलनंबर :- DR-146

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सत्य रेड्डी

पिता/पति का नाम :- राम रेड्डी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-147

रोलनंबर :- DR-147

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- घनश्याम साहू

पिता/पति का नाम :- श्याम लाल साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-148

रोलनंबर :- DR-148

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- श्याम नारायण सिंह

पिता/पति का नाम :- भगत राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-149

रोलनंबर :- DR-149

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रदीप कुमार

पिता/पति का नाम :- जीतन राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-150

रोलनंबर :- DR-150

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दामोदर प्रसाद राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- महेन्द्र राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-151

रोलनंबर :- DR-151

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रावेश कुमार केरकेट्टा

पिता/पति का नाम :- रामभरोष केरकेट्टा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-152

रोलनंबर :- DR-152

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जशपाल सिंह

पिता/पति का नाम :- हरबिन्दर सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-153

रोलनंबर :- DR-153

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संदीप कुमार भारद्वाज

पिता/पति का नाम :- ललन भारद्वाज

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-154

रोलनंबर :- DR-154

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नितलेश कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- सत्यनारायण

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-155

रोलनंबर :- DR-155

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सहजाद हुसैन

पिता/पति का नाम :- मो. नासिर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-156

रोलनंबर :- DR-156

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रेम चन्द्र

पिता/पति का नाम :- महंगू मिस्त्री

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-157

रोलनंबर :- DR-157

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शैलेन्द्र कुमार तिवारी

पिता/पति का नाम :- शिव नारायण तिवारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-158

रोलनंबर :- DR-158

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजकुमार

पिता/पति का नाम :- रामचन्द्र

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-159

रोलनंबर :- DR-159

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दीपक गुप्ता

पिता/पति का नाम :- सुरेश गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-160

रोलनंबर :- DR-160

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मटुकधारी कुशवाहा

पिता/पति का नाम :- शिवलाल कुशवाहा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-161

रोलनंबर :- DR-161

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शिव कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- रामचन्द्र

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-162

रोलनंबर :- DR-162

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शैलश सिंह परिहार

पिता/पति का नाम :- कमलेश सिंह परिहार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-163

रोलनंबर :- DR-163

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मो0 सउद आलम

पिता/पति का नाम :- मोहम्मद एजाज

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-164

रोलनंबर :- DR-164

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुमीत कुमार दुबे

पिता/पति का नाम :- सत्येन्द्र कुमार दुबे

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-165

रोलनंबर :- DR-165

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रवि कुमार भगत

पिता/पति का नाम :- सुखराम भगत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-166

रोलनंबर :- DR-166

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल कुमार

पिता/पति का नाम :- शिव प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-167

रोलनंबर :- DR-167

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- धनेश्वर सिंह

पिता/पति का नाम :- नन्द कुमार सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-168

रोलनंबर :- DR-168

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनोज कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- नन्दू सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-169

रोलनंबर :- DR-169

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिलीप कुमार कुशवाहा

पिता/पति का नाम :- बाबू राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-170

रोलनंबर :- DR-170

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- बालकृष्ण महंत

पिता/पति का नाम :- बी.डी. महंत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-171

रोलनंबर :- DR-171

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अबुबकर सिद्दीकी

पिता/पति का नाम :- अब्दुल नावब

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-172

रोलनंबर :- DR-172

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- निलेश ठाकुर

पिता/पति का नाम :- रामनरेश ठाकुर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-173

रोलनंबर :- DR-173

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल मिंज

पिता/पति का नाम :- बिगला राम मिंज

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-174

रोलनंबर :- DR-174

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अजय कुमार

पिता/पति का नाम :- रामरूप यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-175

रोलनंबर :- DR-175

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अशोक कुमार महन्त

पिता/पति का नाम :- बिहारी दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-176

रोलनंबर :- DR-176

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अभिषेक सिंह

पिता/पति का नाम :- शिव नारायण सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-177

रोलनंबर :- DR-177

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- महेन्द्र

पिता/पति का नाम :- ललीत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-178

रोलनंबर :- DR-178

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विनय कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- राम नारायण सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-179

रोलनंबर :- DR-179

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विशाल दास

पिता/पति का नाम :- जयनन्दन दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-180

रोलनंबर :- DR-180

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रमेश कुमार पैकरा

पिता/पति का नाम :- सुखदेव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-181

रोलनंबर :- DR-181

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विद्या शंकर जायसवाल

पिता/पति का नाम :- कृष्ण मुरारी जायसवाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-182

रोलनंबर :- DR-182

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विवेक कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- जगदीश प्रसाद सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-183

रोलनंबर :- DR-183

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- करम चन्द

पिता/पति का नाम :- लाल मन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-184

रोलनंबर :- DR-184

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कल्पनाथ

पिता/पति का नाम :- सुन्दरा राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-185

रोलनंबर :- DR-185

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मुकेश कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- बृजलाल यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-186

रोलनंबर :- DR-186

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उमेन्द्र दास

पिता/पति का नाम :- घूर दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-187

रोलनंबर :- DR-187

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमित कुमार

पिता/पति का नाम :- नारायण प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-188

रोलनंबर :- DR-188

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सौरभ मण्डल

पिता/पति का नाम :- शंकर मण्डल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-189

रोलनंबर :- DR-189

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रमोद कुमार

पिता/पति का नाम :- रामनारायण

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-190

रोलनंबर :- DR-190

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- डालेश्वर प्रसाद

पिता/पति का नाम :- बलदेव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-191

रोलनंबर :- DR-191

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विनसेन्ट आमोस लूकस

पिता/पति का नाम :- किशोर कुमार लूकस

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-192

रोलनंबर :- DR-192

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- चितरंजन कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- लालगिर राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-193

रोलनंबर :- DR-193

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजेश्वर प्रसाद

पिता/पति का नाम :- रामभगत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-194

रोलनंबर :- DR-194

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भैयालाल राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- प्रधान राम राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-195

रोलनंबर :- DR-195

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- छत्तरधारी सिंह

पिता/पति का नाम :- करीमन सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-196

रोलनंबर :- DR-196

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विजय कुमार देवांगन

पिता/पति का नाम :- फुलसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-197

रोलनंबर :- DR-197

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अशोक कुमार

पिता/पति का नाम :- रमेश

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-198

रोलनंबर :- DR-198

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संतोष कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- स्व0 श्री देवराज राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-199

रोलनंबर :- DR-199

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिनेश कुमार

पिता/पति का नाम :- रामसजीवन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-200

रोलनंबर :- DR-200

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राहुल कुमार दुबे

पिता/पति का नाम :- बालनारायण दुबे

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-201

रोलनंबर :- DR-201

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सोना राम

पिता/पति का नाम :- रामप्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-202

रोलनंबर :- DR-202

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उमालाल

पिता/पति का नाम :- नयनदास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-203

रोलनंबर :- DR-203

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- फलेन्द्र पैकरा

पिता/पति का नाम :- बसंत पैकरा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-204

रोलनंबर :- DR-204

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रवि शंकर

पिता/पति का नाम :- विश्वनाथ यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-205

रोलनंबर :- DR-205

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मो0 सयमुद्दीन

पिता/पति का नाम :- इनायत उल्लाह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-206

रोलनंबर :- DR-206

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- गौरव यादव

पिता/पति का नाम :- बैजनाथ यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-207

रोलनंबर :- DR-207

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल कुमार नेटी

पिता/पति का नाम :- सोनसाय नेटी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-208

रोलनंबर :- DR-208

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजीव खलखो

पिता/पति का नाम :- ब्लासियुस खलखो

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-209

रोलनंबर :- DR-209

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कुलदीप

पिता/पति का नाम :- इन्दल राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-210

रोलनंबर :- DR-210

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- चन्देश्वर राम राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- ननका राम राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-211

रोलनंबर :- DR-211

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजेश कुमार

पिता/पति का नाम :- रामजीत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-212

रोलनंबर :- DR-212

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रामजतन सिंह

पिता/पति का नाम :- स्व0 सुखदेव सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-213

रोलनंबर :- DR-213

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भुनेश्वर साहू

पिता/पति का नाम :- बसंतलाल साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-214

रोलनंबर :- DR-214

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अजय खलखो

पिता/पति का नाम :- एम0डी0 खलखो

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-215

रोलनंबर :- DR-215

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सूरज कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- गंगा राम साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-216

रोलनंबर :- DR-216

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सचिन कुमार एक्का

पिता/पति का नाम :- नईहरसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-217

रोलनंबर :- DR-217

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जयप्रकाश साहू

पिता/पति का नाम :- भरतलाल साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-218

रोलनंबर :- DR-218

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रागेश्वर प्रसाद

पिता/पति का नाम :- भागीरथी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-219

रोलनंबर :- DR-219

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सूरज सोनी

पिता/पति का नाम :- शिवनाथ प्रसाद सोनी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-220

रोलनंबर :- DR-220

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सत्यनरायण उरांव

पिता/पति का नाम :- शोभनाथ उरांव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-221

रोलनंबर :- DR-221

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विकास कुमार भगत

पिता/पति का नाम :- रविकांत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-222

रोलनंबर :- DR-222

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनिष सचिन कुजूर

पिता/पति का नाम :- विजय कुजूर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-223

रोलनंबर :- DR-223

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आशीष कुमार एक्का

पिता/पति का नाम :- इसीदोर एक्का

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-224

रोलनंबर :- DR-224

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- योगेन्द्र प्रसाद

पिता/पति का नाम :- बंशीराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-225

रोलनंबर :- DR-225

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जसवंत विश्वकर्मा

पिता/पति का नाम :- श्री रति राम विश्वकर्मा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-226

रोलनंबर :- DR-226

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुरेश लकड़ा

पिता/पति का नाम :- स्व0 जोनकुश लकड़ा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-227

रोलनंबर :- DR-227

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अंकुश कुमार सोनी

पिता/पति का नाम :- श्री उमेश कुमार सोनी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-228

रोलनंबर :- DR-228

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुनिल सोनवानी

पिता/पति का नाम :- रामबलि सोनवानी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-229

रोलनंबर :- DR-229

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- खुलेन्द्र कुमार मिर्रे

पिता/पति का नाम :- बाबूलाल मिर्रे

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-230

रोलनंबर :- DR-230

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आनंद कुमार दुबे

पिता/पति का नाम :- श्री जन्मेजय दुबे

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-231

रोलनंबर :- DR-231

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अब्दुल अहमद

पिता/पति का नाम :- जम्हीर खान

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-232

रोलनंबर :- DR-232

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- श्री श्रवण कुमार यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-233

रोलनंबर :- DR-233

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रकाश यादव

पिता/पति का नाम :- रामचंदन यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-234

रोलनंबर :- DR-234

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- पुन्ना लाल भगत

पिता/पति का नाम :- साधू राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-235

रोलनंबर :- DR-235

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अक्षय सिंह

पिता/पति का नाम :- मनभरन सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-236

रोलनंबर :- DR-236

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- बिजेन्द्र सिंह

पिता/पति का नाम :- स्व0 देवनाथ सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-237

रोलनंबर :- DR-237

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कृष्णदेव

पिता/पति का नाम :- श्री बजरंग लाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-238

रोलनंबर :- DR-238

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजेन्द्र कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- श्री श्रवण कुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-239

रोलनंबर :- DR-239

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विद्यानिधि पाण्डेय

पिता/पति का नाम :- श्री बिजेन्द्र कुमार पाण्डेय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-240

रोलनंबर :- DR-240

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजय कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री रामसजीवन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-241

रोलनंबर :- DR-241

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- पवन कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री विरेन्द्र सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-242

रोलनंबर :- DR-242

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सलमान खान

पिता/पति का नाम :- कोन्दा खान

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-243

रोलनंबर :- DR-243

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- लवन राम राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- दिल्ली राम राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-244

रोलनंबर :- DR-244

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विजेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- धर्मजीत कश्यप

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-245

रोलनंबर :- DR-245

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अवधेश काशी

पिता/पति का नाम :- श्री रामसजीवन काशी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-246

रोलनंबर :- DR-246

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रूपेश कुमार वर्मा

पिता/पति का नाम :- मोती लाल वर्मा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-247

रोलनंबर :- DR-247

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उमेश कुमार

पिता/पति का नाम :- बंशीलाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-248

रोलनंबर :- DR-248

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विनोद कुमार कुशवाहा

पिता/पति का नाम :- शिवप्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-249

रोलनंबर :- DR-249

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मुकेश उपाध्याय

पिता/पति का नाम :- श्री विश्वनाथ उपाध्याय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-250

रोलनंबर :- DR-250

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- ठानेश्वर प्रसाद

पिता/पति का नाम :- रामशरण

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-251

रोलनंबर :- DR-251

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजेश कुमार कठगर

पिता/पति का नाम :- स्व0 पुरुषोत्तम सिंह कठगर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-252

रोलनंबर :- DR-252

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हलकनाथ

पिता/पति का नाम :- सुन्दरा राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-253

रोलनंबर :- DR-253

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रवि कुमार श्रीवास्तव

पिता/पति का नाम :- गंगा प्रसाद श्रीवास्तव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-254

रोलनंबर :- DR-254

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रविन्द्र

पिता/पति का नाम :- करन साय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-255

रोलनंबर :- DR-255

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राहुल कुमार

पिता/पति का नाम :- रमेश कुमार साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-256

रोलनंबर :- DR-256

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजकुमार रजक

पिता/पति का नाम :- श्री दिलबहाल राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-257

रोलनंबर :- DR-257

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- ताराचन्द गुप्ता

पिता/पति का नाम :- सुरेश प्रसाद गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-258

रोलनंबर :- DR-258

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- पृथ्वीपाल चौहान

पिता/पति का नाम :- श्री सकुन्द राम चौहान

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-259

रोलनंबर :- DR-259

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजेन्द्र प्रसाद

पिता/पति का नाम :- रामकरन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-260

रोलनंबर :- DR-260

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- पंकज कुमार राय

पिता/पति का नाम :- भीमराज राय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-261

रोलनंबर :- DR-261

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- इन्द्र प्रताप तिवारी

पिता/पति का नाम :- दीनानाथ तिवारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-262

रोलनंबर :- DR-262

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- घूर प्रसाद सिंह

पिता/पति का नाम :- हीरा सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-263

रोलनंबर :- DR-263

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शिशराम बड़ा

पिता/पति का नाम :- स्व0 हीरासाय बड़ा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-264

रोलनंबर :- DR-264

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- परमेन्द्र कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- रामनारायण राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-265

रोलनंबर :- DR-265

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विनीत कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- सत्यनारायण सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-266

रोलनंबर :- DR-266

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- तिलकेश्वर सिंह

पिता/पति का नाम :- दिलबोधन सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-267

रोलनंबर :- DR-267

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजय कुमार

पिता/पति का नाम :- लालमन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-268

रोलनंबर :- DR-268

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सूरजलाल

पिता/पति का नाम :- कांशीराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-269

रोलनंबर :- DR-269

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रामप्रकाश

पिता/पति का नाम :- सोनसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-270

रोलनंबर :- DR-270

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सचिन कुमार

पिता/पति का नाम :- सुमेश्वर प्रसाद गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-271

रोलनंबर :- DR-271

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दीपक कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- गिरिश कुमार सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-272

रोलनंबर :- DR-272

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजू साहू

पिता/पति का नाम :- रामचरण साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-273

रोलनंबर :- DR-273

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुशांत रथ

पिता/पति का नाम :- चित्रसेन रथ

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-274

रोलनंबर :- DR-274

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश कुमार निषाद

पिता/पति का नाम :- यशवंत कुमार निषाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-275

रोलनंबर :- DR-275

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कन्हैया साहू

पिता/पति का नाम :- दुर्गा प्रसाद साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-276

रोलनंबर :- DR-276

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रविन्द्र कुमार वैष्णव

पिता/पति का नाम :- वेणेश्वर दास वैष्णव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-277

रोलनंबर :- DR-277

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनुराग टोप्यो

पिता/पति का नाम :- अमोन टोप्यो

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-278

रोलनंबर :- DR-278

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भूवन लाल रवि

पिता/पति का नाम :- श्री जगनारायण रवि

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-279

रोलनंबर :- DR-279

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- यशवंत सिंह राजपूत

पिता/पति का नाम :- श्री कौशल सिंह राजपूत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-280

रोलनंबर :- DR-280

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नरसिंह कुमार देवांगन

पिता/पति का नाम :- श्री मंगलू राम देवांगन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-281

रोलनंबर :- DR-281

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विशाल कुमार

पिता/पति का नाम :- रामलखन कुशवाहा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-282

रोलनंबर :- DR-282

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- गिरधारी लाल

पिता/पति का नाम :- खेदूराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-283

रोलनंबर :- DR-283

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रमेश कुमार पटेल

पिता/पति का नाम :- दैतारी राम पटेल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-284

रोलनंबर :- DR-284

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- तिलक कुमार नामदेव

पिता/पति का नाम :- कान्ति कुमार नामदेव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-285

रोलनंबर :- DR-285

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सत्येन्द्र कुमार केशरवानी

पिता/पति का नाम :- ओमप्रकाश केशरवानी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-286

रोलनंबर :- DR-286

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विजय कुमार

पिता/पति का नाम :- शेष राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-287

रोलनंबर :- DR-287

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- लिहेन्द्र

पिता/पति का नाम :- शंकर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आईडी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-288

रोलनंबर :- DR-288

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनुप तिर्की

पिता/पति का नाम :- मिखाएल तिर्की

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-289

रोलनंबर :- DR-289

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विकास कुमार जायसवाल

पिता/पति का नाम :- रमेश कुमार जायसवाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-290

रोलनंबर :- DR-290

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संदीप साहू

पिता/पति का नाम :- खेमूराम साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-291

रोलनंबर :- DR-291

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- देवेश कुमार

पिता/पति का नाम :- संतोष

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-292

रोलनंबर :- DR-292

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- पूर्वेश गभेल

पिता/पति का नाम :- चन्द्र विजय गभेल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-293

रोलनंबर :- DR-293

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- निरंजन कुमार

पिता/पति का नाम :- सुदामा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-294

रोलनंबर :- DR-294

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सूरज देवांगन

पिता/पति का नाम :- घुरन राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-295

रोलनंबर :- DR-295

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमित कुमार एक्का

पिता/पति का नाम :- स्व0 रामलाल एक्का

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-296

रोलनंबर :- DR-296

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शैलेन्द्र कुमार वर्मा

पिता/पति का नाम :- लक्ष्मी प्रसाद वर्मा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-297

रोलनंबर :- DR-297

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जयकुमार

पिता/पति का नाम :- शत्रुघन कैवर्त्य

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-298

रोलनंबर :- DR-298

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शंकर सिंह राठिया

पिता/पति का नाम :- श्री कन्हैया सिंह राठिया

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-299

रोलनंबर :- DR-299

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रमेश कुमार सैनी

पिता/पति का नाम :- स्व0 राधेश्याम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-300

रोलनंबर :- DR-300

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हितेश सिंह

पिता/पति का नाम :- जैपाल सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-301

रोलनंबर :- DR-301

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमृत लाल द्यूतेश

पिता/पति का नाम :- श्री हरप्रसाद द्यूतेश

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-302

रोलनंबर :- DR-302

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सिकन्दर साव

पिता/पति का नाम :- भुवनेश्वर साव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-303

रोलनंबर :- DR-303

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विनय कुमार

पिता/पति का नाम :- राजेन्द्र

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-304

रोलनंबर :- DR-304

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमर सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री रामलखन सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-305

रोलनंबर :- DR-305

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रामचन्द्र दास

पिता/पति का नाम :- स्व0 रामसजीवन दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-306

रोलनंबर :- DR-306

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विजय कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री द्वारिका प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-307

रोलनंबर :- DR-307

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आरजू

पिता/पति का नाम :- अंसार खान

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-308

रोलनंबर :- DR-308

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- ज्ञानचंद यादव

पिता/पति का नाम :- श्री शिवप्रसाद यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुंब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-309

रोलनंबर :- DR-309

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- पंकज कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री बोधन राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-310

रोलनंबर :- DR-310

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रन्तेलाल

पिता/पति का नाम :- श्री रामसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-311

रोलनंबर :- DR-311

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजकुमार

पिता/पति का नाम :- श्री रामप्यारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-312

रोलनंबर :- DR-312

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- बेचन

पिता/पति का नाम :- स्व0 धनसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-313

रोलनंबर :- DR-313

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमित कुमार एक्का

पिता/पति का नाम :- स्व0 रामलाल एक्का

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-314

रोलनंबर :- DR-314

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- योगेश कुमार घोडेसवार

पिता/पति का नाम :- श्री सिद्धार्थ राम घोडेसवार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-315

रोलनंबर :- DR-315

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विक्रम सिंह टंडन

पिता/पति का नाम :- श्री गंगाधर टंडन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-316

रोलनंबर :- DR-316

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नवल सिंह राजपूत

पिता/पति का नाम :- श्री दीपक सिंह राजपूत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-317

रोलनंबर :- DR-317

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अशोक कुमार कुर्रे

पिता/पति का नाम :- श्री खगेश कुर्रे

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-318

रोलनंबर :- DR-318

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- ननका राम

पिता/पति का नाम :- श्री अकलू राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-319

रोलनंबर :- DR-319

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजय सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री रामलाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-320

रोलनंबर :- DR-320

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नितीन सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री उदयनाथ सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-321

रोलनंबर :- DR-321

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- पूनम सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री महिपाल सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-322

रोलनंबर :- DR-322

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- डेविड सिंह पैकरा

पिता/पति का नाम :- श्री राम विशाल पैकरा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-323

रोलनंबर :- DR-323

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अभिशेख

पिता/पति का नाम :- श्री पारसनाथ

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-324

रोलनंबर :- DR-324

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- बजरंग कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री रामभगत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-325

रोलनंबर :- DR-325

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दलेश्वर राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- बेचन राम राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-326

रोलनंबर :- DR-326

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भागवत प्रसाद साहू

पिता/पति का नाम :- विश्वास प्रसाद साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-327

रोलनंबर :- DR-327

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- चन्द्रशेखर सिंह

पिता/पति का नाम :- सुमन सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-328

रोलनंबर :- DR-328

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शेख मोहमद नदीम

पिता/पति का नाम :- श्री शेख इशत्याक

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-329

रोलनंबर :- DR-329

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सर्वेश कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री नरेश चन्द

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-330

रोलनंबर :- DR-330

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नूनेश्वर प्रसाद

पिता/पति का नाम :- श्री अमीर साय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-331

रोलनंबर :- DR-331

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रविन्द्र प्रताप सिंह

पिता/पति का नाम :- सुरेन्द्र प्रताप सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-332

रोलनंबर :- DR-332

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संतोष कुमार

पिता/पति का नाम :- रघुवर गोस्वामी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-333

रोलनंबर :- DR-333

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हरमीन्दर सिंह

पिता/पति का नाम :- मंजीत सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-334

रोलनंबर :- DR-334

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अतुल गुप्ता

पिता/पति का नाम :- हंसलाल गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-335

रोलनंबर :- DR-335

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नरेन्द्र कुमार प्रजापति

पिता/पति का नाम :- लोकनाथ प्रसाद प्रजापति

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-336

रोलनंबर :- DR-336

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शैलेन्द्र कुमार जायसवाल

पिता/पति का नाम :- श्री बसंतलाल जायसवाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-337

रोलनंबर :- DR-337

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शुभूम राजपूत

पिता/पति का नाम :- श्री महेन्द्र सिंह राजपूत

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-338

रोलनंबर :- DR-338

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नेमेश्वर विश्वकर्मा

पिता/पति का नाम :- नारद राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-339

रोलनंबर :- DR-339

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- वासुदेव

पिता/पति का नाम :- अशोक कुमार यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-340

रोलनंबर :- DR-340

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सैयद मोहम्मद नफीस

पिता/पति का नाम :- सैयद मोहम्मद शब्बीर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-341

रोलनंबर :- DR-341

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सौरभ कुमार मस्के

पिता/पति का नाम :- श्री बी0आर0 मस्के

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-342

रोलनंबर :- DR-342

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संदीप कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- रामऔतार साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-343

रोलनंबर :- DR-343

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमित कुमार

पिता/पति का नाम :- राजेन्द्र प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-344

रोलनंबर :- DR-344

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संतोष कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- स्व0 मतरू राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-345

रोलनंबर :- DR-345

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सूरज कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री बाबुलाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-346

रोलनंबर :- DR-346

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- इन्द्रमोहन राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- श्री घासी राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-347

रोलनंबर :- DR-347

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- श्री बलदेव राम

पिता/पति का नाम :- श्री दिलेश्वर राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-348

रोलनंबर :- DR-348

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जर्वे मोमिन अंसारी

पिता/पति का नाम :- मो0 ईलियास अंसारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-349

रोलनंबर :- DR-349

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रितेश कुमार सोनवानी

पिता/पति का नाम :- संतलाल सोनवानी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- DR-350

रोलनंबर :- DR-350

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Saraswati Higher Sec. School, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आनंद कुमार

पिता/पति का नाम :- कुज बिहारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-92

रोलनंबर :- DR-351

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल टोप्यो

पिता/पति का नाम :- श्री लालसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-96

रोलनंबर :- DR-352

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- छबि प्रसाद राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- इंकर राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-97

रोलनंबर :- DR-353

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सोनु कुमार

पिता/पति का नाम :- स्व0 श्याम नारायण

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-98

रोलनंबर :- DR-354

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नमन जैन

पिता/पति का नाम :- शीलचंद जैन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-99

रोलनंबर :- DR-355

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नितेश कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- चन्द्रप्रकाश साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-102

रोलनंबर :- DR-356

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सरनाम सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री चंदराम सिदार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-104

रोलनंबर :- DR-357

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सूरज सिंह

पिता/पति का नाम :- रामनाथ सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-105

रोलनंबर :- DR-358

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- महबूब आलम अंसारी

पिता/पति का नाम :- अजीजूल रहमान अंसारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-106

रोलनंबर :- DR-359

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विक्रम कश्यप

पिता/पति का नाम :- अशोक कुमार कश्यप

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-107

रोलनंबर :- DR-360

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनुग्रह रोशन बड़ा

पिता/पति का नाम :- मुक्ति कुमार बड़ा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-109

रोलनंबर :- DR-361

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कुमार प्रसाद राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- रामेश्वर प्रसाद राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-110

रोलनंबर :- DR-362

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- निशान्त मिंज

पिता/पति का नाम :- नारद प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-111

रोलनंबर :- DR-363

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रणवीर कुजूर

पिता/पति का नाम :- ओस्कर कुजूर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-112

रोलनंबर :- DR-364

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनीष कुमार

पिता/पति का नाम :- मुन्ना लाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-116

रोलनंबर :- DR-365

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संदीप कुमार

पिता/पति का नाम :- रमाशंकर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-117

रोलनंबर :- DR-366

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हेमन्त कुमार निर्मलकर

पिता/पति का नाम :- कामता प्रसाद निर्मलकर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-118

रोलनंबर :- DR-367

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- ओमनारायण

पिता/पति का नाम :- पुनीत राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-119

रोलनंबर :- DR-368

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजकिरण प्रकाश

पिता/पति का नाम :- स्व0 श्री वीरेन्द्र कुमार प्रकाश

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-122

रोलनंबर :- DR-369

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- गोविन्द दास मंहत

पिता/पति का नाम :- भुजबल दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-123

रोलनंबर :- DR-370

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश कुमार चौहान

पिता/पति का नाम :- बहादुर सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-124

रोलनंबर :- DR-371

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जितेश कुमार

पिता/पति का नाम :- हरिराम साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-126

रोलनंबर :- DR-372

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कार्तिक राम

पिता/पति का नाम :- इंकरलाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-128

रोलनंबर :- DR-373

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- गोविन्दा सिंह

पिता/पति का नाम :- भरत सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-130

रोलनंबर :- DR-374

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नरहरि भारद्वाज

पिता/पति का नाम :- नारायण भारद्वाज

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-132

रोलनंबर :- DR-375

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजधानी

पिता/पति का नाम :- मानसाय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-135

रोलनंबर :- DR-376

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संदीप कुजूर

पिता/पति का नाम :- लोहर साय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-136

रोलनंबर :- DR-377

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कालेश्वरानंद साहू

पिता/पति का नाम :- ललित कुमार साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-141

रोलनंबर :- DR-378

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मुकेश कुमार सोनी

पिता/पति का नाम :- रामदुलार सोनी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-146

रोलनंबर :- DR-379

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिलीप कुमार

पिता/पति का नाम :- बालाराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-149

रोलनंबर :- DR-380

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रांजल राज सहू

पिता/पति का नाम :- याम कार्तिक साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-150

रोलनंबर :- DR-381

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मृत्युंजय सिंह

पिता/पति का नाम :- सुरेन्द्र नाथ सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-152

रोलनंबर :- DR-382

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रविशंकर दास

पिता/पति का नाम :- दयाल चन्द्र दास

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-153

रोलनंबर :- DR-383

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- देवांशु जायसवाल

पिता/पति का नाम :- अनिल जायसवाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-154

रोलनंबर :- DR-384

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अजीत कुमार गुप्ता

पिता/पति का नाम :- अर्जुन प्रसाद गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-155

रोलनंबर :- DR-385

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- बासुदेव कुमार

पिता/पति का नाम :- गंगाराम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-156

रोलनंबर :- DR-386

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विनसेन्ट आमोस लुकस

पिता/पति का नाम :- स्व0 किशोर कुमार लुकस

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-157

रोलनंबर :- DR-387

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रफुल्ल कुमार सोनी

पिता/पति का नाम :- इन्द्रमणी सोनी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-158

रोलनंबर :- DR-388

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आकाश चौबे

पिता/पति का नाम :- नरेन्द्र कुमार चौबे

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-159

रोलनंबर :- DR-389

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जितेन्द्र कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- जगनारायण साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-160

रोलनंबर :- DR-390

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अजीत कुमार गुप्ता

पिता/पति का नाम :- जगदीप बखला

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-162

रोलनंबर :- DR-391

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संतोष कुमार

पिता/पति का नाम :- शिवनारायण

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-163

रोलनंबर :- DR-392

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दिनेश कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- बाबूलाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-164

रोलनंबर :- DR-393

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हिटलर सुदामा

पिता/पति का नाम :- स्व0 के0 आर0 सुदामा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-167

रोलनंबर :- DR-394

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमन कुमार

पिता/पति का नाम :- विष्णु प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-169

रोलनंबर :- DR-395

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- पंकज कुमार

पिता/पति का नाम :- असरफी राय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-172

रोलनंबर :- DR-396

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- आलोक कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- जनेश्वर सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-173

रोलनंबर :- DR-397

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भूषण लाल साहू

पिता/पति का नाम :- एम0आर0साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-174

रोलनंबर :- DR-398

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- डालेश्वर प्रसाद राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- बलदेव राम राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-175

रोलनंबर :- DR-399

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रितेश कुमार राय

पिता/पति का नाम :- शिवनारायण

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-176

रोलनंबर :- DR-400

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मो0 इमरान अली

पिता/पति का नाम :- मो0 असरफ अली

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-179

रोलनंबर :- DR-401

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राजकुमार साहू

पिता/पति का नाम :- श्याम लाल साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-180

रोलनंबर :- DR-402

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जितेन्द्र कुमार सिन्हा

पिता/पति का नाम :- रामलाल सिन्हा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-181

रोलनंबर :- DR-403

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शंकर कुमार बंजारे

पिता/पति का नाम :- मोतीराम बंजारे

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-183

रोलनंबर :- DR-404

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अरूण कुमार पाण्डेय

पिता/पति का नाम :- हरिशचन्द्र पाण्डेय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-184

रोलनंबर :- DR-405

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मितिन कुमार

पिता/पति का नाम :- ओमप्रकाश टंडन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-185

रोलनंबर :- DR-406

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमित एक्का

पिता/पति का नाम :- सुरेश कुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-188

रोलनंबर :- DR-407

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- चन्द्रप्रकाश नवैत

पिता/पति का नाम :- जगदीश प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-190

रोलनंबर :- DR-408

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- धनंजय

पिता/पति का नाम :- श्यामसुंदर चन्देल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-192

रोलनंबर :- DR-409

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- चन्द्रशेखर देवांगन

पिता/पति का नाम :- चिरोंजी लाल देवांगन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-193

रोलनंबर :- DR-410

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रेम कुमार राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- दुबराज राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-194

रोलनंबर :- DR-411

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजय कुमार

पिता/पति का नाम :- रामकुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-196

रोलनंबर :- DR-412

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुधीर कुमार

पिता/पति का नाम :- विजय कुमार

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-200

रोलनंबर :- DR-413

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सूरज जायसवाल

पिता/पति का नाम :- रथराम जायसवाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-201

रोलनंबर :- DR-414

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अब्दुल नाजिर

पिता/पति का नाम :- अब्दुल जाकिर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-202

रोलनंबर :- DR-415

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सलिम साय सिंह

पिता/पति का नाम :- घरभरन राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-203

रोलनंबर :- DR-416

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विजय कुमार पाटकर

पिता/पति का नाम :- गंगाराम पाटकर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-207

रोलनंबर :- DR-417

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सोनू तिर्की

पिता/पति का नाम :- श्री बंधु

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-208

रोलनंबर :- DR-418

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अरविंद कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री द्वारिका प्रसाद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-210

रोलनंबर :- DR-419

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जयकुमार कैवर्त्य

पिता/पति का नाम :- श्री शत्रुहन लाल कैवर्त्य

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-213

रोलनंबर :- DR-420

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- योगेश सोनी

पिता/पति का नाम :- गणेश सोनी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-214

रोलनंबर :- DR-421

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विजय कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री रामलाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-215

रोलनंबर :- DR-422

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सुखलाल सिंह

पिता/पति का नाम :- राम बहादुर सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-216

रोलनंबर :- DR-423

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विक्की कुमार सोनवानी

पिता/पति का नाम :- राजमन सोनवानी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-217

रोलनंबर :- DR-424

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रोहित एक्का

पिता/पति का नाम :- मतियस एक्का

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-218

रोलनंबर :- DR-425

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मिथलेश कश्यप

पिता/पति का नाम :- कार्तेश्वर प्रसाद कश्यप

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-219

रोलनंबर :- DR-426

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जयकिशन

पिता/पति का नाम :- नैन सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-220

रोलनंबर :- DR-427

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- कली राम

पिता/पति का नाम :- स्व0श्री देवलाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-221

रोलनंबर :- DR-428

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हामिद सिददीकी

पिता/पति का नाम :- लियाकत अली

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-225

रोलनंबर :- DR-429

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजीव कुमार टोप्पो

पिता/पति का नाम :- स्व0 विजय कुमार टोप्पो

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-226

रोलनंबर :- DR-430

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रिंकु कश्यप

पिता/पति का नाम :- राजु कश्यप

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्कूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-227

रोलनंबर :- DR-431

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- घनीष कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- श्री दयाशंकर साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-230

रोलनंबर :- DR-432

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मनोज कुमार महाणा

पिता/पति का नाम :- श्री केदारनाथ महाणा

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F- 233

रोलनंबर :- DR-433

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- हरिनाथ

पिता/पति का नाम :- गुरुचरण

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F- 234

रोलनंबर :- DR-434

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- नरेन्द्र कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- स्व0 हरिप्रसाद सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F- 236

रोलनंबर :- DR-435

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विक्रम प्रसाद सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री केशवर प्रसाद सिंह

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-238

रोलनंबर :- DR-436

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- छत्तरपाल राम

पिता/पति का नाम :- अमीर साय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-239

रोलनंबर :- DR-437

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रभात डहरिया

पिता/पति का नाम :- श्री टुकुराम डहरिया

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-240

रोलनंबर :- DR-438

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- यशवंत

पिता/पति का नाम :- श्री हिरा साय राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-241

रोलनंबर :- DR-439

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- तरुण कुमार टुवानी

पिता/पति का नाम :- श्री कमल किशोर टुवानी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-243

रोलनंबर :- DR-440

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश कुमार सिंह

पिता/पति का नाम :- श्री शंकर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-246

रोलनंबर :- DR-441

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- लव कुमार तिवारी

पिता/पति का नाम :- श्री प्रफुल्ल कुमार तिवारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-248

रोलनंबर :- DR-442

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- प्रदीप बघेल

पिता/पति का नाम :- स्व. श्री तोरडलाल बघेल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-250

रोलनंबर :- DR-443

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भुनेश्वर सिन्हा

पिता/पति का नाम :- रिगेश्वर

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-252

रोलनंबर :- DR-444

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- तेजराम यादव

पिता/पति का नाम :- श्री भोलेनाथ यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-253

रोलनंबर :- DR-445

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- सरताप खान

पिता/पति का नाम :- शाह मोहम्मद

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-254

रोलनंबर :- DR-446

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अमन तिवारी

पिता/पति का नाम :- अन्नपूर्णानंद तिवारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-256

रोलनंबर :- DR-447

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- शिवम कुमार गुप्ता

पिता/पति का नाम :- धरमपाल गुप्ता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-258

रोलनंबर :- DR-448

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रामखेलावन

पिता/पति का नाम :- धरमपाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-261

रोलनंबर :- DR-449

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अजय कुमार कश्यप

पिता/पति का नाम :- मनोहर राम

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-262

रोलनंबर :- DR-450

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश कुमार महिपाल

पिता/पति का नाम :- इन्द्रसेन महिपाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-263

रोलनंबर :- DR-451

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल कुमार

पिता/पति का नाम :- धरम लाल

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-265

रोलनंबर :- DR-452

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- इरफान अली

पिता/पति का नाम :- इस्तेखार अली

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्कूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-266

रोलनंबर :- DR-453

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उमेश कुमार

पिता/पति का नाम :- कैलाश

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-267

रोलनंबर :- DR-454

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रविन्द्र पाण्डेय

पिता/पति का नाम :- श्यामदीन पाण्डेय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-268

रोलनंबर :- DR-455

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- उत्तम कुमार

पिता/पति का नाम :- श्री कौशल प्रसाद उपाध्याय

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-272

रोलनंबर :- DR-456

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- मालिक राम साहू

पिता/पति का नाम :- स्व. नेनीलाल साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-273

रोलनंबर :- DR-457

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- जेम प्रकाश टोप्पो

पिता/पति का नाम :- पतरस टोप्पो

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-275

रोलनंबर :- DR-458

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रवि कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- रामकेर यादव

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-277

रोलनंबर :- DR-459

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- संजय राजवाड़े

पिता/पति का नाम :- स्व. सुन्दरलाला राजवाड़े

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-281

रोलनंबर :- DR-460

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- विजेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- रामईश्वरन

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-283

रोलनंबर :- DR-461

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- भूपेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- कमलभान

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-286

रोलनंबर :- DR-462

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- दीपक पुरी

पिता/पति का नाम :- बिहारी पुरी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-287

रोलनंबर :- DR-463

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- रामअनुज चकधारी

पिता/पति का नाम :- भगवान दास चकधारी

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।

कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश, सूरजपुर(छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र (लिखित परीक्षा) :-

— वाहन चालक पद हेतु —

पंजियन क्रमांक :- 900F-290

रोलनंबर :- DR-464

परीक्षा केन्द्र /स्थान :- Govt. I.T.I. Parri, Surajpur

परीक्षा का दिनांक :-17.03.2024 समय :- प्रातः 10:00 से 11:15 तक

परीक्षार्थी का नाम :- डोमेश चन्द्र

पिता/पति का नाम :- ठाकुर दयाल साहू

आवेदक का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

सही /—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 कुटुम्ब न्यायाधीश सूरजपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- 1— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य के लिये आवेदित पदों के संबंध में स्क्रूटनी हेतु केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- 2— यदि कोई अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य पदों के लिये आवेदन किया हो तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर का उल्लेख करें।
- 3— वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य तीनों पदों के लिये पृथक-पृथक अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
- 4—दो या तीन प्रवेश पत्र जिन अभ्यर्थियों को वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा के लिये जारी किये जायेंगे वे यदि परीक्षा केन्द्र भिन्न-भिन्न हो तो किसी एक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेंगे।
- 5—यदि अभ्यर्थी वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य की परीक्षा हेतु सम्मिलित हो रहा हो तो उसे सभी प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 6— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 7— परीक्षा के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर लाना अनिवार्य है साथ ही पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि लाना अनिवार्य है।
- 8— परीक्षा के दौरान चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
- 9— यात्रा परिवहन व ठहरने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं ही करना होगा।
- 10— किसी अभ्यर्थी को त्रुटिवश एक ही पद के लिए दो प्रवेश पत्र जारी हो गया हो तो केवल एक ही प्रवेश पत्र में उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। दूसरा प्रवेश पत्र अमान्य होगा।